

शा

30/5/23 फत्रावली-पेश-हुई। वादी-वकील-अनु०।
पत्रावली का अपलीकन किया गया। -गामालग द्वारा
बार-बार अवसर मिले-जाने के अग्रान्त भी वादी एवं
वादी वकील द्वारा -गामालग के आदेश की पालना-ही
करवाई गयी। अतः मूल वाद 09R-2/09R-5 में
स्वारित किया जाता है। फत्रावली-कैसल शूमार से
कर नम्बर से कम ही। वाद पूर्ति कारिकल वफर ही।

सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.